<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महोबा।</u>

मूलवाद संख्या–03/2021

C.N.R. No.-UPMB010003482021

देवीदीन बनाम सुन्दरलाल आदि।

<u>दिनांक 07.09.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। वादी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 49–क मय शपथ पत्र कागज संख्या 50–ग प्रस्तुत किया गया। शामिल पत्रावली हो। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

<u>संशोधन प्रार्थना पत्र 49–क का निस्तारणः–</u>

उक्त संशोधन प्रार्थना मय शपथ पत्र 50–ग वादी की ओर से इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में लखन, नीरज, क्रान्ति को पक्षकार बनाने का अनुपालन करते हुए वाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विरोध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नही की गयी है। मौखिक रूप से यह आपत्ति की गयी है कि प्रार्थना पत्र अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2021 को तृतीय पक्षकारगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपरोक्त व्यक्तियों को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु आदेशित किया था। संशोधन प्रार्थना पत्र न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिया गया है। चूंकि उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है इसलिए न्यायहित में उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादी का संशोधन प्रार्थना पत्र 49–क अंकन 100/–रू0 (एक सौ रूपये) पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह अपने प्रार्थना पत्र के प्रकाश में करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते जवाबदावा (प्रतिवादी संख्या–4 लगायत 6 के लिए) एवं तनकी दिनांक 21.09.2021 को पेश हो।

(राकेश कुमार गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(एफ0टी0सी0) महोबा।
यू0पी0–6439

Digitally signed by Rakesh Kumar Gautam
Date: 2021.09.08 17:20:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court